बरेली पुलिस

प्रेसनोट दिनांक 19.07.2026

थाना शाही जनपद बरेली।

थाना शाही पुलिस व ए एन टी एफ यूनिट बरेली की संयुक्त टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 04 शातिर अपराधियों को 08 नीले रंग की कैनों में कुल 498.35 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड (अनुमानित कीमत करीब 01 करोड़ 30 लाख),एक पिकअप वाहन, 01 रेनो क्विड कार, 05 मोबाइल फोन, 1080 रू0/- नगद सहित किया गया गिरफ्तार।

जनपद में मादक पदार्थो की तस्करी/ बिक्री करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे सतत अभियान के क्रम में थाना शाही पुलिस व एएनटीएफ यूनिट बरेली की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 18.07.2026 की रात्रि को 04 अभियुक्त 1.जोगेश उर्फ पिंकू पुत्र राजवीर सिंह, निवासी चक मुस्तफापुर, थाना मंडी धनौरा, अमरोहा उम्र 28 वर्ष(पूर्व में भी एनसीबी लखनऊ के एसिटिक एनहाइड्राइड प्रकरण में जेल जा चुका है), 2.अब्दुल वासिद पुत्र अनवार अली, निवासी नदाईल, थाना सहसवान, बदायूं उम्र 37 वर्ष 3.तेजपाल सिंह पुत्र श्रीराम प्रसाद, निवासी हटऊआ, थाना डिडौली, अमरोहा उम्र 44 वर्ष व 4.अरुण कुमार पुत्र रामशरण, निवासी जाटव कॉलोनी, जोया, थाना डिडौली, अमरोहा उम्र 54 वर्ष को ग्राम जुन्हाई बिजली घर के सामने थाना शाही जनपद बरेली से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये अभियुक्तों से 08 नीले रंग की कैनों में कुल 498.35 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड (Controlled Substance/Precursor Chemical),एक पिकअप वाहन, एक रेनो क्विड कार, 04 मोबाइल फोन, 1080 रुपए नगद बरामद हुई बरामदगी के आधार पर थाना शाही पर मु0अ0स0 241/2026 धारा 8/9A/25A/60 NDPS Act पंजीकृत कर अभियुक्तगणों से विस्तृत पूछताछ कर मा0 न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 241/26 धारा 08/9A/25A/60 एनडीपीएस एक्ट थाना शाही बरेली।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

1.जोगेश उर्फ पिंकू पुत्र राजवीर सिंह, निवासी चक मुस्तफापुर, थाना मंडी धनौरा, अमरोहा।

2.वासिद पुत्र अनवार अली, निवासी नदाईल, थाना सहसवान, बदायूं।

3.तेजपाल सिंह पुत्र श्रीराम प्रसाद, निवासी हटऊआ, थाना डिडौली, अमरोहा।

4.अरुण कुमार पुत्र रामशरण, निवासी जाटव कॉलोनी, जोया, थाना डिडौली, अमरोहा।

वांछित अभियुक्तः –

1. अरशद पूत्र नामालूम निवासी मेवात हरियाणा।
2. कय्यूम पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम नदाईल थाना सहसवान जिला बदाँयू।

पूछताछ -

गिरफ्तार अभियुक्त जोगेश उर्फ पिंकू ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ दिनांक 16.07.2026 को मेवात (हरियाणा) से उक्त एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर आया था। यह खेप अरशद द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। एसिटिक एनहाइड्राइड ₹1,100 प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा गया था तथा इसे कय्यूम पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम नदाईल, थाना सहसवान, जनपद बदायूं को ₹1,400 प्रति लीटर के हिसाब से देना था। कय्यूम द्वारा इसे आगे पश्चिम बंगाल की पार्टी को सप्लाई किया जाना था। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उक्त रसायन का उपयोग हेरोइन निर्माण में मॉर्फीन को एसीटिलेट (Acetylation) करने में किया जाता है तथा मुनाफा चारों अभियुक्त आपस में बांटते थे।

बरामदगी -

1. 498.35 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड केमिकल (अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड 30 लाख रुपये)
2. 05 मोबाईल फोन
3. 02 वाहन (पिकअप वाहन, 01 रेनो क्विड कार)
4. 1080 रुपये नकद

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह थाना शाही बरेली।
2. उ0नि0 श्री विकास यादव एएनटीएफ यूनिट बरेली।
3. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना शाही जिला बरेली।
4. हे0का0 698 देवेन्द्र सिंह थाना शाही जिला बरेली।
5. हे0का0 सौरभ चौधरी एएनटीएफ यूनिट बरेली।
6. का0 रसविन्द्र चौधरी एएनटीएफ यूनिट बरेली।
7. का0 कुश कुमार एएनटीएफ यूनिट बरेली।
8. का0 विनित कुमार एएनटीएफ यूनिट बरेली।
9. म0का0 छाया एएनटीएफ यूनिट बरेली।